

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2020-21

ई-बोली सूचना संख्या:-एफ 4/मुख्या/वित्त/भु0/2020/2798.

दिनांक:- 3.7.20.

ई-बोली सूचना

क्र. सं.	कार्य का विवरण	पात्रता	कार्य की अनुमानित लागत	बोली सुरक्षा राशि	बोली प्रपत्र की लागत	बोली प्रोसेसिंग फीस	
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम में नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों/ कर्मचारियों लगभग 13660 की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी राशि 3 लाख प्रति कर्मचारी	आई0आर0डी0ए0 द्वारा भारत में सामूहिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय हेतु अधिकृत कम्पनिया ही भाग ले सकती है।	13 लाख	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	400रु	1000रु	बोलीदाता द्वारा ऑनलाइन बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि /समय 16.07.2020 / 15:00 बजे तक टेक्निकल बिड खोलने की तिथि/समय 16.07. 20 / 15:30 बजे तक फाईनेशियल बिड खोलने की तिथि/समय घोषित कर दी जावेगी

टेन्डर की शर्तें

- बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
- बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जावेगी।
- बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाकर अथवा e-procurement cell RISL, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। (इस कार्य हेतु हैल्प डेस्क नंबर 0120-4200462, 0120-4001002, 91-8826246593 पर समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 तक कार्य दिवसों में सम्पर्क किया जा सकता है इसके अतिरिक्त समस्त कार्य दिवसों यथा सोमवार से शुक्रवार को समय प्रातः 09.30 बजे से 06.00 बजे तक स्थानीय दूरभाष नंबर 0141-4022688) पर सम्पर्क किया जा सकता है। इस संबंध में हैल्प डेस्क के ई-मेल आई0डी0 Support-eproc@nic.in पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
- बोली प्रपत्रों में बोलीदाता के लिए सूचना एवं पात्रता आदि की शर्तें, बोली प्रपत्र के साथ <http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है तथा ऑन लाईन ई-बोली <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर ही प्रस्तुत की जानी है। बोली सूचना में किसी प्रकार के

<http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc>,
प्रकाशित की जावेगी।

<http://sppp.rajasthan.gov.in>

5. बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता को कार्य की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत सुरक्षा राशि की डी0डी0 (Financial advisor RSRTC, Jaipur) के नाम से प्रस्तुत करनी होगी तथा बोली प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर कार्य/बीमा की वार्षिक लागत की 5 प्रतिशत राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में जरिये डी0डी0/ बैंक गारण्टी जमा करानी आवश्यक होगी। किन्तु केन्द्र/राज्य के अधीन संचालित बीमा कम्पनियों को बोली सुरक्षा राशि एवं कार्य सम्पन्न सुरक्षा राशि के संबंध में बोली के साथ हस्ताक्षरयुक्त घोषणा-पत्र (प्रपत्र अ) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. अपूर्ण एवं सशर्त बोली प्रपत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
7. बोली प्रपत्र में आवेदन करते समय, बोली-प्रपत्र शुल्क राशि 400/- रुपये की डी0डी0 Financial advisor RSRTC, Jaipur एवं बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि 1000 /- MD RISL, Jaipur के पक्ष में दिनांक तक जमा करवा कर, डी.डी संख्या एवं बैंक का नाम व ब्रॉन्च इत्यादि का विवरण अंकित करें। तथा बोलीदाता को उक्त देय डी0डी0 की फोटो प्रतियां ऑन लाईन बोली के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। कोई भी बोली इलैक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. ऑन लाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डी.एस.सी. (D.S.C) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
9. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. इलैक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवें की बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
11. अनुबंध के क्रियावयन, शर्तों एवं अनुबंध से संबंधित अन्य किसी प्रकार की विवेचना के संबंध में कंपनी तथा निगम के बीच विवाद उत्पन्न हाने की दशा में विवाद के निस्तारण के लिये निगम के आदेश कमांक मुख्या/विधि/सामा./17/781 दिनांक 3.10.2017 को बनाई गई स्टेन्डिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा। कोई भी पक्ष विवाद को पक्ष-निर्णय के समक्ष प्रस्तुत किये बिना विवाद को न्यायालय में नहीं ले जा सकेगा।
12. ऑनलाईन बोलीयां निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेगी।
13. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करावें। बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई जानकारी/दस्तावेज को निगम स्तर पर सत्यापन का अधिकार सुरक्षित है।
14. तकनीकी एवं वित्तीय बोलीयां अलग-अलग खोली जावेगी। इसलिए दोनों बोलीयां अलग-अलग ऑनलाईन भरी जावेगी एवं उस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी/वित्तीय बोली (जैसी भी स्थिति हो)

अंकित हो। तकनीकी रूप में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोलीयां खोली जावेगी अन्य बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

15. वर्तमान में निगम में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 13660 है, जो कि घट/ बड़ सकती है।
16. जिन कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी ली जानी है, उनका बीमा परिलाभ राशि रु 3,00,000/- प्रति कर्मचारी होगा। जिसे बढ़ाया भी जा सकता है।
17. यह पॉलिसी लिये जाने की दिनांक से एक साल तक लागू मानी जायेगी। जिसे आपसी सहमति से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
18. किसी भी कर्मचारी का सामूहिक दुर्घटना बीमा दावा Time Barred नहीं माना जायेगा।
19. भुगतान दावेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में/चैक के माध्यम से करना होगा।
20. प्रस्तावक कंपनी का स्थानीय कार्यालय जयपुर में होना आवश्यक है।
21. सफल कंपनी से एमओयू कराया जायेगा जिसकी शर्तें घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती हैं।
22. इस अनुबंध से संबंधित किसी भी दावे के निष्पादन में होने वाले विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
23. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये सेवाकर या अन्य किसी प्रकार के करों का दायित्व कंपनी का होगा, अर्थात् कर वंचना का दायित्व कंपनी का होगा।
24. टेण्डर सशर्त स्वीकार नहीं किया जावेगा।
25. किसी भी टेण्डर को निरस्त करने का अधिकार निगम का होगा।



वित्तीय सलाहकार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी

वर्ष 2020-2021

वित्तीय सलाहकार
राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय,
परिवहन मार्ग चौमू हाउस,
जयपुर 302001

विषय:- राजस्थान परिवहन निगम में नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2020-2021 करने हेतु जारी बोली प्रपत्र कय करने के संबंध में।

संदर्भ:- बोली सूचना संख्या:-एफ 4/मुख्या/वित्त/भु0/

दिनांक .06.2020

1. हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी बीमा कम्पनी बोली की समस्त पात्रता एवं योग्यतायें पूर्ण करती है तथा निगम द्वारा वांछित बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु अधिकृत है।
2. हमारे द्वारा बोली प्रपत्रों को भलि-भांति पढ़ लिया गया है।
3. हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली प्रस्ताव, बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक से 120 दिवस हेतु मान्य होंगे, जो बोली प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की स्थिति में बोली की शर्तानुसार अवधि के लिए मान्य होंगे।
4. हमारे प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किये जाने की स्थिति में निगम द्वारा जारी आदेशानुसार निगम मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पॉलिसी वर्ष 2020-2021 करने तथा इस हेतु निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने हेतु स्वीकृति देते हैं।
5. हमारी फर्म/कम्पनी भारत में बीमा व्यवसाय करने हेतु आई0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत की हुई है, जिसका मान्य प्रमाण पत्र सलग्न है।
6. हमारी कम्पनी निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को जारी मेडिकल बीमा पॉलिसी के तहत वांछित सुविधायें बीमा अवधि के दौरान उपलब्ध करायेगी।
7. हमारी कम्पनी उक्त बोली के तहत प्रस्ताव सीधे कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कर रही है, जिसमें कोई ब्रोकर सम्मिलित नहीं है।
8. हमारी कम्पनी को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया हुआ है।
9. हमारी कम्पनी को ज्ञात है कि निगम सर्वाधिक कम दर प्रस्तावकर्ता कम्पनी को बीमा पॉलिसी करने हेतु अधिकृत करने हेतु बाध्य नहीं है।

पूरा नाम:-

हैसियत:- मालिक/पार्टनर

पूर्ण पता:-

घोषणा-पत्र

बोलीदाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डिजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

- 1 मैं/हम बोली प्रपत्र शुल्क की राशि जमा रुपये 400/-डी.डी. संख्या-----
दिनांक----- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि 1000 /- डी.डी. संख्या-----
दिनांक-----एवं बोली प्रतिभूति राशि ----- रुपये की डी.डी संख्या
-----दिनांक----- संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
- 2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर कर दूँगा/देगें ।
- 3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।
- 4 मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव बोली खोलने की दिनांक से 120 की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांक:-

स्थान:-

हस्ताक्षर-बोलीदाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

सामूहिक दुर्घटना बीमा के देय बीमा लाभ का विवरण

बीमा अवधि के दौरान निगम कर्मचारी की मृत्यु/दुर्घटना ग्रस्त होने पर नीचे उल्लेखित स्थिति में उनके सामने अंकितानुसार बीमा लाभ का भुगतान किया जायेगा।

क्र०स	दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार	देय बीमा धन (रूपये में)
1.	दुर्घटना में मृत्यु होने/पूर्ण रूपेण स्थाई अपंगता/दोनो हाथ, दोनो पैर या दोनो आँखें पूर्ण रूपेण भंग होने पर	3.00 लाख
2.	दुर्घटना के कारण एक आँख, एक पैर या एक हाथ पूर्ण रूपेण भंग होने पर	1.50 लाख
3.	ऑशिक विकलांगता/क्षति की दशा में 1. पोंवों की अंगुलियों की हानि सभी बड़ी अंगुलियास्थ बड़ी दोनो अंगुलियास्थ बड़ी एक अंगुलियास्थ बड़ी के अतिरिक्त यदि प्रत्येक के एक से अधिक हानि हो 2. दोनो कानो से श्रवण शक्ति की हानि 3. एक कान से श्रवण शक्ति की हानि 4. एक हाथ की चार अंगुलियों व अँगूठे की हानि 5. चारो अंगुलियों की हानि 6. अँगूठे की हानि दोनो अंगुलियास्थ या एक अंगुलियास्थ 7. तर्जनी की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 8. मध्यमा की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 9. अनामिका की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 10. कनिष्ठा की हानि तीन/दो/एक अंगुलियास्थ 11. करपास्थियों की हानि प्रथम, द्वितीय,द्वितीय (अतिरिक्त) तृतीय,चतुर्थ एवं पंचम (अतिरिक्त) 12. अन्य कोई स्थाई आंशिक अशक्तता	पूँजीगत राशि का प्रतिशत 20 05 02 01 50 15 40 35 25/10 10/8/4 6/4/2 5/4/2 4/3/2 3/2 चिकित्सक द्वारा निर्धारित अनुसार प्रतिशत
4	मृत्यु की दशा में शव को लाने ले जाने पर खर्च राशि	दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति के शव को दुर्घटना स्थल/अस्पताल से उसके पैतृक गांव तक परिवहन का पुनर्भरण अथवा एक हजार पॉच सौ रूपये, जो भी कम होगा देय होगा।

तकनिकी बोली

1. आई. आर. डी. ए. के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक
2. कम्पनी पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी, मण्डल, निगम या बोर्ड में ग्रुप बीमा करने का अनुभव होना चाहिए।
3. कम्पनी का कार्यालय जयपुर में स्थित होना आवश्यक है।

कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर एवं पूरा नाम मय सील

वित्तीय बोली

बीमा कम्पनी का नाम एवं पता :

बीमा कम्पनी का मुख्य कार्यालय का पता :

क्रम सं०	विवरण	बीमा प्रीमियम राशि प्रति कर्मचारी	
		राशि रु० अंको में	राशि रु० शब्दों में
1.	सामुहिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम की दर प्रति कर्मचारी (देय बीमा लाभो पर)समस्त करें सहित		

कम्पनी द्वारा अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर एवं पूरा नाम मय सील